निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 206/2017/प्रा.पत्र/

निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

अनवान

1. श्री उदयसिंह पुत्र तेजसिंह रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री मकनसिंह पुत्र मालसिंह रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़
2. श्री राजूसिंह पुत्र गंगासिंह रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़
3. श्री राजू धाबाई पुत्र माधू धाबाई निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़
4. श्री भैरूसिंह पुत्र तेजसिंह रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़
5. श्री नारायणसिंह पुत्र दुर्गसिंह रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 राज0भू0राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 01. श्री उम्मेद गर्ग वकील प्रार्थी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी ए में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसके खा.नं. 15 आ.नं. 29/2 रकबा 1.09 बीघा, आ.नं. 30/2 रकबा 1.10 बीघा आ.नं. 31/2 रकबा 0.07 बिस्वा आ.नं. 32/2 रकबा 16.00 बीघा आ.नं. 33/2 रकबा 0.01 बिस्वा आ.नं. 35/2 रकबा 1.04 बीघा आ. नं. 36/2 रकबा 2.08 बीघा आ.नं. 37 रकबा 0.08 बिस्वा आ.नं. 40/2 रकबा 0.06 बिस्वा आ. नं. 42 रकबा 0.12 बिस्वा आ.नं. 43/2 रकबा 1.05 बीघा आ.नं. 44/2 रकबा 0.06 बिस्वा आ. नं. 45/2 रकबा 0.17 बिस्वा आ.नं. 46/2 रकबा 0.08 बिस्वा कुल किता 14 रकबा 12.16 बीघा है। उक्त भूमि की प्रार्थी ने पूर्व में पत्थरगढ़ी नही करवाई है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भ्उाूमि के चारों ओर पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नही है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि की सीमा से लगते हुए पड़ौसी है के बीच सीमा संबंधी विवाद रहता है। कभी विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि में से घास काट लेते है कभी वृक्ष काट लेते है मौके पर अशान्ति रहती है तथा प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी का सहारा लेना पड़ता हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बाद पनती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का समाधान हमेशा–हमेशा के लिये हो जाएगा तथा प्रार्थी अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग अपभोग कर सकेगा।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये जो तामील हो शा.पत्रा है प्रत्युत्तर में विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित हरने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने बहस की वकील प्रार्थी की बहस सुनी। बहस में विद्वान वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि ग्राम किशनपुरा में प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि स्थित है इस भूमि की प्रार्थी ने पूर्व में पत्थरगढी नही कराई है। इस भूमि के चारो तरफ पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नही है जिससे विपक्षीगण जो प्रार्थी की इस भूमि के पड़ौसी है हर समय सीमा संबंधी विवाद करते रहते है विपक्षीगण कभी प्रार्थी की भूमि को हांक देते है कभी प्रार्थी की भूमि में से पेड़ घास वगैरह काट देते है तथा विपक्षीगण लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है जिससे मौके पर अशान्ति रहती है तथा प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी करनी पड़ती है। यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जायेगा तथा प्रार्थी उसकी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी ए की जमाबंदी सं. 2070 से 2073 में प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खा.नं. 15 आ.नं. 29/2, आ.नं. 30/2, आ.नं. 31/2, आ.नं. 32/2, आ.नं. 33/2 आ.नं. 35/2, आ.नं. 36/2, आ.नं. 37, आ.नं. 40/2, आ. नं. 42, आ.नं. 43/2, आ.नं. 44/2, आ.नं.45/2, आ.नं. 46/2 कुल किता 14 रकबा 12.16 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी करा मौका परचा पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

Scanned by CamScanner